न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 06/2022 — अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भगवानसिंह पुत्र सबलसिंह 2. दुर्जनसिंह पुत्र सबलसिंह 3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपुत, निवासी हाथीसिंह का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. सबलसिंह पुत्र गुमानसिंह 2. गेमरसिंह पुत्र गुमानसिंह 3. नखतसिंह पुत्र गेमरसिंह 4. हठेसिंह पुत्र गेमरसिंह 5. बखतावरसिंह पुत्र गेमरसिंह 6. रामसिंह पुत्र गेमरसिंह 7. मानसिंह पुत्र कानसिंह 8. परबतसिंह पुत्र कानसिंह 9. कल्याणसिंह पुत्र परबतसिंह 10. रूपसिंह पुत्र परबतसिंह 11. सदाकंवर पत्नी कानसिंह जाति राजपुत, निवासी हाथीसिंह का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 12. शाखा प्रबंधक, RMGB शाखा शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 11 – श्री देवीलाल कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10.04.2023

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 स्व0 गुमानसिंह पुत्र खुशालसिंह के वारिशान एवं विधिक उत्तराधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा मतुजा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 216 रकबा क्रमशः 36.6564 हैक्टेयर व मौजा हाथीसिंह का गांव के खेत खसरा नम्बर 309, 411/309, 194 रकबा क्रमशः 1.6187, 30.0600, 27.7047 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त विवादित आराजी पूर्व पुरूष गुमानसिंह के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर विरासत में प्राप्त हुई। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 194 में खातेदारी हिस्सा 1/4 एवं खसरा नम्बर 216, 309, 411/316 में खातेदारी हिस्सा 1/2 दर्ज है। उक्त विवादित आराजी सहदायिकी सम्पति है एवं मौके पर अपने हक हिस्सा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड की अनुचित प्रविष्टियों का फायदा उठाकर पैतृक सहदायिकी की संपति को अजनबी क्रेताओं को बैचान करने पर आमादा है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादीगण अपने पैतृक हक हिस्सा की भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाने के विधिक अधिकारी [illegible] के तहत पैतृक सहदायिकी सम्पति में पुत्र–पौत्र–प्रपौत्र का जन्म से अधिकार [illegible] वादग्रस्त आराजी में वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं [illegible] विकास एवं अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित रह [illegible] आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ स्वयं को सहखा[illegible]धिकारी होने से उक्त [illegible]तेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.07.14 14:44:47 IST
Reason: SelfAttested

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश करते हुए स्वयं के साथ वादीगण को बहिस्सा बराबर का सहखातेदार घोषित करने बाबत् सहमति प्रदान की गई। प्रतिवादी संख्या 2 से 11 की ओर से

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

जरिये अधिवक्ता उक्त वाद में औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं करने का कथन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 12 बैंक बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

वादी संख्या 1 की ओर से बतौर साक्ष्य बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां व खतौनी बन्दोबस्त पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा वारिसान का 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक एवं सहदायिकी भूमि है तथा पैतृक एवं सहदायिकी भूमि में वादीगण का जन्मतः हक हिस्सा निहित होने से वादपत्र अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तद्नुसार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदारी घोषणा की जाकर आदेश करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने वाद के तथ्यों पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व0 गुमानसिंह पुत्र खुशालसिंह के वारिस (पुत्र–पौत्र) है, जो जाति से राजपुत होने से वक्त मृत्यु हिन्दु विधि से शासित होते थे। अतः उनके हकुक का अंतरण भी हिन्दु विधि के अनुसार ही होगा। खतौनी बंदोबस्त व वर्तमान जमाबंदी तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वारिश शपथ पत्र से भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 गुमानसिंह के वारिश होना साबित है। चूंकि उक्त वाद में वादीगण अधिवक्ता द्वारा पैतृक सहदायिकी संपति में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई है। अतः वादग्रस्त आराजी पैतृक एवं सहदायिकी संपति होने से वादीगण का हक हिस्सा जन्म से निहित होने से वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मतुजा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 216 रकबा 36.6564 हैक्टेयर एवं मौजा हाथीसिंह का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 309, 411/309, 194 रकबा क्रमशः 1.6187, 30.0600, 27.7047 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रत्येक की खातेदारी में बहिस्सा बराबर घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.07.14 14:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव